तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/2519/2001/बीकानेर रहमान खां बनाम सुखाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री एस.के. पुरोहित, अधिवक्ता, प्रार्थी

निर्णय

दिनांक 29.08.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी प्रकरण धारा 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के तहत अतिरिक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13-02-2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक आयुक्त, उपनिवेशन छतरगढ, मु. बीकानेर ने दिनांक 28-03-2000 को चक-7 डीओडीडी के मुरब्बा नम्बर 119/61 की 05बीघा कमाण्ड व 16बीघा अनकमाण्ड कुल 21बीघा भूमि अप्रार्थी संख्या-1 को आवंटित की गयी। इस आवंटन आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 13-02-2001 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/2519/2001/बीकानेर रहमान खां बनाम सुखाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि आवंटन अधिकारी के समक्ष प्रार्थी ने विवादित आराजी के विशेष आवंटन हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया, जिस पर आवंटन अधिकारी द्वारा प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किये बिना विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या–1 को आवंटित कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विशेष आवंटन की दरख्वास्त के अलावा प्रार्थी की एक अन्य दरख्वास्त भी आवंटन अधिकारी के यहां विचाराधीन थी, जिसके द्वारा उसने अपने पिता की टी.सी. से पुख्ता आवंटन से सरपल्स भूमि का आवंटन विवादित भूमि के लिए प्रस्तुत किया गया था परन्तु अप्रार्थी को नाजायज लाभ पहुंचाने की नियत से प्रार्थी को सुनवाई का मौका दिये बिना उसकी गैर हजारी में आवंटन अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या–1 को विवादित भूमि का आवंटन कर दिया, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण था। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया गया है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रकरण को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों को निरस्त किया जावे। हमने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या–1 ने विवादित आराजी चक–7 डीओडीडी के मुरब्बा नम्बर 119/61 की 21बीघा भूमि के विशेष आवंटन हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें स्वयं के नाम से धारित 13बीघा भूमि का विवरण प्रस्तुत किया गया। साथ ही ग्राम गोगलीवाला का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/2519/2001/बीकानेर रहमान खां बनाम सुखाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निवासी होने के सम्बन्ध में मूल निवास प्रमाणपत्र एवं सद्भावी काश्तकार होने सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार उक्त आराजी के आवंटन हेतु प्रार्थी रहमान खां ने भी आवंटन अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। आवंटन अधिकारी ने प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या–1 को उपस्थित होने हेतु दिनांक 10–03–2000 एवं 23–03–2000 के नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात् दिनांक 23–03–2000 को अप्रार्थी संख्या–1 के उपस्थित होने पर आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर विवादित आराजी का आवंटन किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 ने विवादित आराजी का विशेष आवंटन आदेश तथ्यों को छुपाते हुए प्राप्त नही किया गया है तथा उसके द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदनपत्र में धारित भूमि का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसी के आधार पर आवंटन अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या–1 को उक्त विवादित भूमि का विशेष आवंटन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने हमारे समक्ष ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे आवंटन अधिकारी द्वारा पारित आवंटन आदेश को विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होना माना जा सकें। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/कोलो/2519/2001/बीकानेर रहमान खां बनाम सुखाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों की पुष्टि की जाती है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	